रेस्पा० जरिये सम्मन तलब होकर
दिनांक 15-1-19 को पेश हो।

15-1-19

वकील अपी० उप०/अहलमद रेस्पा० की तामील हो चुकी है। गैर हाजिर रेस्पा० की ओर से श्री दीपक मालानी एड० का वकालतनामा पेश हुआ। वास्ते बहस दि० 29-1-19 को पेश हो।

30-1-19

कल बार द्वारा कार्य स्थगन होने से वकील अपी० की बहस आज सुनी गई। अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार कि० बाह को पुनः प्रेषित की गई। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :-
श्री महेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
6	31-12-18	30-1-19

उनवान

1- शैल जैन पत्नि श्री एस.के.जैन जाति जैन निवासी बी-1/12 बसन्त विहार मलाई मन्दिर के सामने कुसुमपुर बसन्त विहार-1 साउथ वेस्ट दिल्ली 57

:- अपीलाण्ट

बनाम

1- ग्राम पंचायत खानपुर मेवान पं.स. किशनगढ़-बास जरिये सरपंच/सचिव

:-असल रैस्पोडेन्ट

2- ओरम प्रोजेक्ट प्रा.लि.बी 1/12 बसन्त विहार नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता गोपीचन्द पुत्र श्री सहेन्द्रपाल जाति जाट निवासी ग्राम नरोत्तमपुर तहसील मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।

:-तरतीबी रैस्पा0

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत खानपुर मेवान दिनांक 18-9-18 इन्तकाल नं. 469 ग्राम बेडाका बास तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

उपस्थिति:-1-श्री आशीष मालानी एडवोकेट अपीलाण्ट की ओर से ।
2-असल रैस्पा0 की ओर से कोई हाजिर नहीं ।
3-श्री दीपक मालानी एडवोकेट तर.रैस्पा.की ओर से ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। अपील के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-
अपीलाण्ट ने यह अपील ग्राम पंचायत खानपुरमेवान के आदेश दिनांक 18-9-18 बाबत इन्तकाल सं. 469 वाके बेडका बास से क्षुब्ध होकर पेश कर निवेदन किया कि आराजी विवादित जेर अपील इन्तकाल सं. 469 वाके बेडाका बास तहसील किशनगढ़-बास दिनांक 27-7-18 को जरिये रजि. बयनामा बाकब्जा खरीद की थी जिस पर अपीलाण्ट वर्तमान समय में भी काबिज एवं दखील है।

बयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल सं. 469 दर्ज कर दिनांक 12-9-18 को भू.अ. निरीक्षक से मिलान कराया गया। भू.अ. निरीक्षक ने अपनी जाँच में इन्तकाल को सही होना दर्ज किया। उक्त इन्तकाल को वास्ते निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर मेवान के समक्ष दिनांक 18-9-18 को पेश किया

--2--

उप जिला कलक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

गया। ग्राम पंचायत ने द्वैशता पूर्वक मनमाने तरीके से अपीलाण्ट का कब्जा ना होने की बेजा तरीके से टिप्पणी करते हुऐ इन्तकाल को खारिज करदिया गया। ग्राम पंचायत ने कब्जे की बाबत कोई जाँच नहींकी गांव की पार्टी बाजी व राजनैतिक रंजिश के कारण बिना कोरम पूर्ण किये मनमाने तोर पर इन्तकाल को खारिज करदिया जो ग्राम पंचायत की कानूनी भूल है इसलिए आज्ञा ग्राम पंचायत काबिले निरस्त है।

अत: अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 18-9-18 बाबत इन्तकाल सं. 469 ग्राम बेडाका बास निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल अपीलाण्ट मंजूर फरमाते हुऐ अपील स्वीकार की जावे ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पा. को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील असल रैस्पा. की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। तर. रैस्पा. की ओर से श्री दीपक मालानी एड. उपस्थित हुये।

वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाण्ट ने आराजी जरिये रजि. बयनामा बाकब्जा खरीद की है जिस पर अपीलाण्ट काबिज है। सरपंच ग्राम पंचायत ने द्वैशता पूर्वक इन्तकाल पर यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया कि मौके पर कब्जा नहीं है। जबकि अपीलाण्ट वक्त खरीद से ही मौके पर काबिज है। अत: अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल अपीलाण्ट के पक्ष में स्वीकार किया जावे ।

हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत फोटो प्रति बयनामा के अवलोकन से साबित है कि पृ. सं. 4 पर बिन्दु सं. 2 पर विक्रेता द्वारा क्रेता को मौके पर कब्जा सम्भलाये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। नकल इन्तकाल के अवलोकन से साबित है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि ""आज दिनांक 18-9-18को इन्तकाल सदन के समक्ष पेश हुवा सदन ने अवगत कराया मौके पर कब्जा ना होने की वजह से अस्वीकार है।"" जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने निर्णय पूर्व किसी प्रकार की जाँच नहीं की ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया तथा निर्णय पर अकेले के हस्ताक्षर है कोरम के किसी सदस्य के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का यह निर्णय विधि विरूद्ध है जो काबिले खारिज है।

अत: आदेश हैं कि:-

ग्राम पंचायत खानपुरमेहान का आदेश दिनांक 18-9-18 बाबत इन्तकाल सं. 469 वाके बेडाका बास निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार किशनगढ-बास को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वो मौके

--3--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर उक्त कारण की [illegible] कर पुनः रिपोर्ट दाखिल करें। रिपोर्ट की प्रति [illegible] सिकन्द्रा-बाद को [illegible] करें। [illegible] प्रस्तुत होकर [illegible] रिपोर्ट [illegible] 30-1-19 को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत करें।

उपजिलाधिकारी
सिकन्द्रा-बाद बुलन्दशहर

Scanned by CamScanner